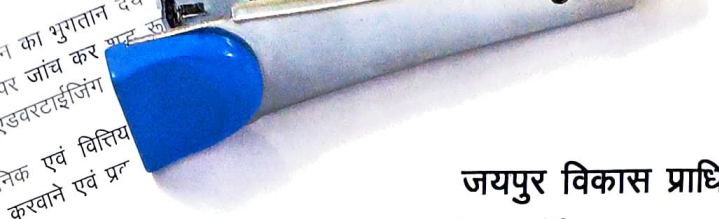

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 1659 दिनांक 13/7/2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्रं.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. मे)	खातेदार का नाम
1.	बदनपुरा तहसील जयपुर	संयुक्त खातेदारी	बद्री विहार	515 ——— **कुल किता 1**	0.3162 ——— **कुल रकबा 0.3162**	1. दीपवंश अग्रवाल पुत्र राममनोहर अग्रवाल 2.मधू अग्रवाल पत्नि भागचन्दअग्रवाल 3. राममनोहर अग्रवाल पुत्र स्वं. ब्रदीनारायण अग्रवाल 4. सरोज अग्रवाल पत्नी राममनोहर अग्रवाल 5. सोनिया गर्ग पत्नी हर्ष गर्ग 6. हेमलता अग्रवाल पत्नी महेश कुमार अग्रवाल .

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....13/7/22.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन–10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या......1657.......   दिनांक..13/7/2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. मे)	खातेदार का नाम
1.	बदनपुरा तहसील जयपुर	संयुक्त खातेदारी	गंगेश्वर नगर	513 514 ——— **कुल किता 2**	0.0759 0.2909 ——— **कुल रकबा 0.3668**	1. मांगी पत्नि नानगराम 2. लल्लूलाल पुत्र नानगराम 3. सत्यनारायण पुत्र नानगराम 4. सुरजनारायण पुत्र नानगराम 5. स्वरूपनारायण पुत्र नानगराम 6. हनुमान पुत्र नानगराम 7. हरिनारायण पुत्र नानगराम

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 53 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

उपायुक्त एवं पदाधिकृत अधिकारी
जोन–10
प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
जोन–10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 1655 दिनांक 13/7/2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्रं.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. मे)	खातेदार का नाम
1.	बदनपुरा तहसील जयपुर	संयुक्त खातेदारी	अनस विहार	502 ——— **कुल किता 1**	0.2529 ——— **कुल रकबा 0.2529**	1 फूला देवी पत्नी स्वं. रामप्रसाद

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4. मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

अधिकृत अधिकारी
जोन-10
जयपुर

जाति– अहीर

जाति– अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या...1653..... दिनांक.13/7/2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्रं.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. मे)	खातेदार का नाम
1.	बदनपुरा तहसील जयपुर	सुरजपोल गृ.नि. स.स.	रहीमन कालोनी	495, 496, 497 ——— **कुल किता 3**	0.3794 0.5185 0.2023 ——— **कुल रकबा 1.1002**	1 मूल पत्नी फूलचन्द 2. श्यामलाल पुत्र भौरीलाल 3.सीताराम दतक पुत्र फूलचन्द

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये

उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे **कमरा नम्बर 205, कोर्ट बिल्डिंग, जविप्रा, जयपुर** स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-10

उपायुक्त / प्राधिकारी
जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1464 दिनांक 12/7/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थिया श्रीमती ज्योति कंवर पत्नी श्री सिद्धार्थ सिंह के पक्ष में भूखण्ड संख्या 22 योजना राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स.) का फ्री होल्ड पट्टा विलेख क्रमांक डी– 1903 दिनांक 06.07.2022 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के बिन्दु संख्या – 2 के उपबिन्दु संख्या iv के कम में भू– उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर– 30 फीट रोड, पश्चिम की ओर – भूखण्ड संख्या 13, उत्तर की ओर– रोड 80 फीट तथा दक्षिण की ओर– भूखण्ड संख्या 23 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू– उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 12/7/2022 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन–7
उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-875
13/7/22

			1. छीतरमल दत्तक पुत्र चन्दा हिस्सा–पूर्ण जाति–बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार

Scanned with CamScanner

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1467 दिनांक 12/7/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **ओम शिव गृ.नि.स.स.** की योजना **कृष्णा कुन्ज कालोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरानम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
गोकुलपुरा तहसील जयपुर	47	0.0379	1. काना पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/20 जाति–बागडा सा. देह खातेदार 2. छीतर पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा– 1/6 जाति–बागडा सा. देह खातेदार 3. तीजा पत्नी चन्दा हिस्सा– 1/3 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 4. धापू पत्नी स्व. घीसा हिस्सा– 1/12 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 5. नारायण पुत्र पन्ना हिस्सा– 1/12 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 6. प्रभात्या पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/20 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 7. मंगला पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/20 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 8. लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्ना हिस्सा–1/12 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 9. श्यामा पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/20 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार 10. श्योबक्श पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/20 जाति–बागड़ा सा. देह खातेदार
	48	0.2782	1. छीतर पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा–पूर्ण जाति–बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
	49	0.6323	1. छीतरमल दत्तक पुत्र चन्दा हिस्सा–पूर्ण जाति–बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार

प्रभीर.876

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपतियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 12/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd,

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-876
13/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-7/2022/डी- 1468 दिनांक 12/8/22

आमसूचना

प्रशारान शहरों के संग अभियान–2022 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित श्री हथरोई गृ.नि.स.स. की योजना– शेखावत कॉलानी ए, के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र सं	सदस्यों का नाम	भूखण्ड संख्या
1	नरायण लाल जखड	100(ए)
2	नाथी देवी	7(ए)
3	आशा कंवर	8
4	विजय श्री दिक्षित	4
5	जगन्नाथ कुमार जाखड़	45
6	जितेन्द्र ताखर	39(ए)
7	प्रेम देवी कुमावत	28
8	जयचन्द वर्मा	7
9	प्रेम देवी कुमावत	28
10	लक्ष्मी नारायण यादव	32
11	अनिता चौधरी	39
12	सरोज	28
13	श्रवि यादव	38
14	भंवर लाल जाखड़	84(ए)
15	गेवा राम कुमावत	9
16	इन्द्र लाल सैनी	30
17	विजेन्द्र सिंह	18
18	मुकेश माथुर	4(बी)
19	सुवा लाल मीना	137(ए)
20	धन्ना लाल	23
21	भवानी शंकर	8
22	ओमप्रकाश वर्मा	64(ए)
23	दिनेश कुमावत	136
24	मीना देवी	121(ए)
25	भंवर लाल कुमावत	17
26	पूनम कंवर	135(ए)
27	गोपाल सिंह चूण्डावत	67(ए)
28	नीतू कंवर	14
30	मदनलाल जाट	23
31	मुकेश देवी	4
32	दीपक गुप्ता	292
33	पुरूषोत्तम वर्मा	7 (बी)
34	गायत्री देवी	67(सी)
35	उषा जाखड	128(ए)

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-877

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अधो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त/जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 12/7/2022

संख्या 1469

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **हथरोईगढी गृह निर्माण सहकारी समिति** की योजना **जगदम्बा कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बीडखातीपुरा तहसील जयपुर	192	3.7813	मानसिंह पुत्र हरिसिंह जाती राजपूत सा0 पचलंगी खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/ग.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 12/7/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-878
13/7/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 2076 दिनांकः 13/7/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की सी–स्कीम आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–सी–5बी, सी–6ए एवं सी–5सी मैसर्स आर.के. बिल्डएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, जरिये निदेशक श्री नवल किशोर जांगिड, पुत्र श्री महावीर प्रसाद जांगिड़ उक्त भूखण्डों का पुनर्गठित भूखण्ड संख्या–सी–5बी, सी–6ए, सी–5सी योजना सी–स्कीम, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर का कार्यालय के पत्र क्रमांक 3021 दिनांक 26.11.2021 को पुनर्गठित किया गया था।

उक्त भूखण्ड के पूर्व में जारी लीजडीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा यह बताया गया है कि उक्त भूखण्ड की पूर्व में जारी लीजडीड गुम हो गए हैं। अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा जारी करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

EO

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

कमांक: जविप्रा / उपा / जोन–10 / 2022 / डी–1651 दिनांक 13/7/2022

विज्ञप्ति / सूचना

ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सॉगानेर जिला जयपुर में निजी खातेदारी के खसरा नं. 69 से 75, 76 / 1, 77 / 1 कुल किता 9 रकबा 7.29 है. में मोटल प्रयोजनार्थ 72361.15 वर्ग मीटर की लीजडीड कमांक: 61 दिनांक 14.03.11 को जविप्रा द्वारा श्रीमती राजकुमारी महेन्द्र कुमारी पुत्री सुदर्शन देवी को मोटल प्रयोजनार्थ जारी की गई थी।

श्रीमती राजकुमारी महेन्द्र कुमारी पुत्री सुदर्शन देवी जरिये मुख्त्यारआम जयसिंह राठौड पुत्र श्री अमरजीत सिंह द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.02.21 के अनुसार मोटल प्रयोजनार्थ से रिसोर्ट हाउसिंग मे भू–उपयोग परिवर्तन करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान को उक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस मे उपायुक्त–10, जविप्रा, जयपुर के कार्यालय मे प्रस्तुत करे अन्यथा मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा आवेदक के पक्ष मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: –

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः जविप्रा/उपा/जोन– 10/2022/डी–1652 दिनांक 13/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध मे यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित करे।

क.स.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए–276	पालडीमीणा	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश गुप्ता	नकुल सिंह पुत्र माम चन्द	स्वघोषणा पत्र, पंजिकृत हक त्याग विलेख

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर।
जोन–10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः –
जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner